

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.  
राजस्व वाद पत्र संख्या :-137 / 2021

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट  
:निर्णय:

दिनांक 28.6.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 3 वकील उपस्थित। अप्रार्थी सं० 3 का मूलदावा में प्रस्तुत जवाब को ही इस पत्रावली का जवाब समझा जावे ऐसा निवेदन अधिवक्ता द्वारा किया गया। न्यायहित में उक्त जवाब को इस पत्रावली में स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अप्रार्थी सं० 1 पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया मूलदावा के निर्णय तक इस पत्रावली में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म किया जावे। अतः पत्रावली के अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21.9.21 को मूलदावे की निर्णय तक ता:फैसला स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूलदावे के साथ संलग्न हो।

(श्योराम),  
(आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी,  
(खाजूवाला)

